रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273602
CG-DL-E-19062026-273602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3059] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 3059] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3181(अ).— जबकि मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, आवेदक ने जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय यशद भवन, उदयपुर, राजस्थान-313004, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित चंदेरिया लीड जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 250 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/56/2024-PG दिनांक 24.03.2025 के द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित चंदेरिया लीड जिंक स्मेल्टर प्लांट के लिए थोक उपभोक्ता के रूप में मेसर्स एचजेडएल को 250 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 07.08.2025, नई विधा, मालव दर्शन, जननायक और सीधा सवाल (हिन्दी में) दिनांक 07.08.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 25.10.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ने दिनांक 12.03.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से कोई अवलोकन / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने दिनांक 10.03.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

I. 220/132 केवी एचजेडएल एस/एस (गांव आंवलहेड़ा, डाकघर बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित) से नीमच पीएस तक 220 केवी डीसी लाइन (डीसी टावरों पर)।
II. 220/132 केवी एचजेडएल एस/एस से एचजेडएल (चित्तौड़गढ़) (चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर, गांव पुथोली, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित) तक 132 केवी डीसी लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइनें राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

I. 220/132 केवी एचजेडएल एस/एस (गांव आंवलहेड़ा, डाकघर बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित) से नीमच पीएस तक 220 केवी डीसी लाइन (डीसी टावरों पर)।

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	प्रेमनगर, सुवानिया, खंटिया, नेगड़िया कलां, भुसरड़ा की खेड़ी, नेगड़िया खुर्द, सोनगर की खेड़ी, कंजरों की बस्ती, बस्सीबेरीसाल, बस्सी, घोसुंडी, मीणों की झोंपड़ी, आंवलहेड़ा, बल्दरखा, संग्रामपुरा, गुसाईयों का खेड़ा, नगरी, धोरड़िया, गुजरों का खेड़ा,	बस्सी	चित्तौड़गढ़	राजस्थान

	होकमपुरा, गोकुलसिंह का खेड़ा, कुमावतों का खेड़ा, पिपलीपाल, सुरजना, भील्याखेड़ा, दल्ला का खेड़ा, मांगोदडा, एकलिंगपुरा, मायरा, गलेमल, अंबावेरी, भादीखेड़ा, सादी, गोदी, भदानो का खेड़ा, कंवरजी का खेड़ा, अर्जुनपुरा, कॉजवेज, पाल, पाल का खेड़ा, चोपड़ा खेड़ा, बोबला खुर्द, मेवासर, सूरतसिंहजी का खेड़ा, फुसरिया, रात्रे, गारोल, गोपालपुरा, गोरासिया, जवासिया, देवदुगेरी, मधुपुरिया, राजपुरिया, बावरीखेड़ा, भुगरिया, भांडा, बिजयपुर, धगलियाखेड़ा			
2	कावरियाखेड़ा, लक्ष्मीपुरा, गवलियार खुर्द, गवलियार कलां, कुंतली, माताजी का खेड़ा, अमरतिया, स्लूइस, घाटी, रूपपुरा, बागपुरा, तुमरिया, राश्यामगरी, खेताखेड़ा, खातीखेड़ा, तारोली, देवीपुरा, अमिया, नयागांव, खेड़ा मौका का दौल, बारी, चक सोडीजेर, आरोली, शोपुरा, कनकपुरा, रलायता, सुजानपुरा, कुँवरजी की खेराई, लुवा, बिलंखड़ा, महूपुरा, पारन, आनंदपुरा, रेतपुरा, कदवासा, रस्तपुरा, आनोर, धरारी, बारारावाड़ा, अरनिया, लाडपुरा, बनारिया, मोहकमपुरा, सलोदा, गुलसारी, पलासिया, केलपुरा, थारोद, खोलपुरा, कवई	सिंगोली	नीमच	मध्य प्रदेश
3	जावदिया जूना, अनीपुरा, फतहपुर, डिग्गी, चर्चा, जालमपुरा, आमल्दा, मवागांव, पीपल्दा, बागपुरा, जेतपुर, लारपुरा, जलसागर, आंबा, हरिपुरा, बंबोरी, डोराई, ब्रजपुरा, मानकेसल, मेघपुरा, पारावास, राजपुरा, रामनगर, प्रतापपुरा, मंडावरी, खेरी, पाचुडा, मरावाड़ा, आंवलहेड़ा, गणेशपुरा, किशोरपुरा, गंगापुर, करणपुरिया, रायती, रायता, उत्थेन खुर्द, उत्थेन कलां, पारिखियाखेड़ी, डेवरिया, प्रेमनगर, रावदरा, सरूपजी की खेड़ी, हरिपुर वारला, बेगूं, जायल, धूलखेड़ा, रापुरा, खासा का खेड़ा, शलीमगरा, भगवानपुरा, माधोपुर, दौलतपुरा, गोपालपुरा, हरिपुरा, भालखन, धवलजी का खारा, झूपरिया, राजगढ़, गांडेलिया, धामनचान, भाटखेरा जूना, करोदिया, सेमलिया, खरारी, कल्याणपुरा, नयागांव, बदनपुरा, शोदर्शनपुरा, कालाबार, बागपाछलीखेड़ी, धानोरा, तुकारदी, जेसिंहपुरा, गुलाना, बामनहेड़ा, गोविंदपुरा, हनातिया, अमरपुरा, चेची, रामपुरिया, कंथारिया, डोबियान, गलियाबावड़ी, तुरकन, सिंधुपुरा, बोराबावड़ी	बेगूं	चित्तौड़गढ़	राजस्थान

II. 220/132 केवी एचजेडएल एस/एस से एचजेडएल (चित्तौड़गढ़) (चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर, गांव पुथोली, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित) तक 132 केवी डीसी लाइन।

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	सालेरा, ओजोलियों का खेड़ा, पुठोली, डेट, मानसिंह का खेड़ा, शिवपुरा, भवानीपपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मुंगावा का खेड़ा, भेरडा, दमदमा, चंदेरिया, ओछोड़ा, सुरजना, कुमावतों का खेड़ा, धोरड़िया, होकमपुरा, नगरी, बिलिया, गुसाईयों का खेड़ा, गुजर का खेड़ा, सुवानिया, चोगावाड़ी, सोनगर की खेड़ी, मीणों की झोंपड़ी, आंवलहेड़ा, दल्ला का खेड़ा, भील्याखेड़ा, पीपलीपाल, मंगोदड़ा, गेलेमल, मायरा,	बस्सी	चित्तौड़गढ़	राजस्थान

	एकलिंगपुरा, संग्रामपुरा, बलदरखा, अजुनपुरा, कॉजवेज, पाल, पाल का खेड़ा, चोपड़ा खेड़ा, घोसुंडी, गोकुलसिंह का खेड़ा, गणेशपुरा			

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/55/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3181(E).—Whereas M/s. Hindustan Zinc Limited (HZL), the applicant with its corporate office at Yashad Bhawan, Udaipur, Rajasthan- 313004, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity to M/s Hindustan Zinc Limited for 250 MW as Bulk Consumer for Chanderiya Lead Zinc Smelter Plant at Chittorgarh, Rajasthan”

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No. 25-17/56/2024-PG dated 24th March, 2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity to M/s Hindustan Zinc Limited for 250 MW as Bulk Consumer for Chanderiya Lead Zinc Smelter Plant at Chittorgarh, Rajasthan”

M/s Hindustan Zinc Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Times of India and Indian Express (in English) dated 07.08.2025, Nai Vidha, Malav Darshan, Jannayak and Seedha Sawal (in Hindi) dated 07.08.2025, and in Weekly Gazette of India dated 25.10.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Hindustan Zinc Limited has submitted an affidavit dated 12.03.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India.

M/s. Hindustan Zinc Limited had submitted an Undertaking dated 10.03.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon'ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s Hindustan Zinc Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

I. 220/132 kV HZL S/s (located at village Aawanlheda, Post Office Bassi, District Chittorgarh, Rajasthan) – Neemuch PS 220 kV D/c line (on D/c towers).

II. 220/132 kV HZL S/s – HZL (Chittorgarh) (Chanderiya Lead Zinc Smelter located at village Putholi, District Chittorgarh, Rajasthan) 132 kV D/c line.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan and Madhya Pradesh state:

I. 220/132 kV HZL S/s (located at village Aawanlheda, Post Office Bassi, District Chittorgarh, Rajasthan) – Neemuch PS 220 kV D/c line (on D/c towers).

Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	District	State
1	Premnagar, Suwaniya, Khantiya, Negdiya Kalan, Bhusarda Ki Kheri, Negdiya Khurd, Sonagar Ki Kheri, Kanjron Ki Basti, Bassiberisal, Bassi, Ghosundi, Mnon Ki Jhonpari, Anvalhera, Baldarkha, Sangrampura, Gusaiyon Ka Khera, Nagari, Dhordiya, Gujaron Ka Khera, Hokampura, Gokulsingh Ka Khera, Kumavaton ka Khera, Piplipal, Surjona, Bhilyakhera, Dala Ka Khera, Mangodra, Eklingpura, Mayra, Galemal, Ambaveri, Bhadikhera, Sadi, Godi, Bhadano ka Khera, Kanvarji ka Khera, Arjunpura, Causeways, Pal, Pal ka Khera, Chopra Khera, Bobla Khurd, Mewasar, Suratsinghji ka Khera,Phusriya, Ratre, Garol, Gopalpura, Gorasiya, Madhupuriya, Javasiya, Devdugeri, Rajpuriya, Bavarikhera, Bhugriya, Bhanda, Bijaipur, Dhagliyakhera,	Bassi	Chittorgarh	Rajasthan
2	Kavariyakhera ,Lakshmipura, Gavaliyar Khurd, Gavaliyar Kalan, Kuntali, Mataji ka Khera, Amartiya, Sluice, Ghati, Ruppura, Bagpura, Tumariya, Rashyamagri, Khetakhera, Khatikhera, Taroli, Devipura, Amiya, Nayagaon, Khera Mouka Ka Daul, Bari, Chak Sodijer, Aroli, shopura, Kanakpur, Ralayata, Sujanpura, Kunwarji ki Kherai, Luwa, Bilkhanda, Mahupura Paran, Anandpura,, Retpura, Kadawasa, Rastpura, Anor, Dharari, Bararawada, Arniya, Ladpura, Banariya, Mauhkampura, Saloda, Gulsari, Palasiya, Kelpura, Tharod, Kholpura, Kawai	Singoli	Neemuch	Madhya Pradesh
3	Javdiya Juna, Anoppura, Fatahpur, Diggi, Charcha, Jalampura, Amalda, Mavagaon, Pipalda, Bagpura, Jetpur, Larpura, Jalsagar, Amba, Haripura, Bambori, Dorai, Brajpura, Mankesal, Meghpura, Paravas, Rajpura, Ramnagar, Pratappura, Mandawari, Kheri, Pachhunda, Marawada, Anwalhera, Ganeshpura, Kishorpura, Gangapur, Karanpuriya, Rayti, Rayta, Utthen Khurd, Utthen Kalan, Parkhiyakheri, Dewariya, Premnagar, Rawarda, Saroopji ki Kheri, Haripur Warla, Begun, Jail, Dhulkhera, Rappura, Khasa ka Khera, Shlimagra, Bhagwanpura, Madhopur, Daulatpura, Gopalpura, Haripura, Bhalkhan, Dhawalji ka Khara, Jhupriya, Rajgarh, Gandeliya, Dhamanchan, Bhatkhera Juna, Karondia, Semliya, Kharari,	Begun	Chittorgarh	Rajasthan

	Kalyanpura, Nayagaon, Badanpura, Shodarshanpura, Kalabar, Bagpachhlikheri, Dhanora, Turakadi, Jesinghpura, Gulana, Bamanhera, Govindpura, Hanatiya, Amarpura, Chechi, Rampuriya, Kanthariya, Dobiyan, Galiyabawri, Turkan, Singhpur, Borbawari			

II. 220/132 kV HZL S/s – HZL (Chittorgarh) (Chanderiya Lead Zinc Smelter located at village Putholi, District Chittorgarh, Rajasthan) 132 kV D/c line.

Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	District	State
1	Salera, Ajoliyan Ka Khera, Putholi, Det, Mansingh Ka Khera, Shivpura, Bhavanipura, Industrial Area, Hindustan Zinc Limited, Mungava Ka Khera, Bherda, Damdma, Chanderiya, Achhora, Surjona, Kumavaton Ka Khera, Dhordiya, Hokampura, Nagri, Biliya, Gusaiyon Ka Khera, Gujaron Ka Khera, Suwaniya, Chogawari, Sonagar Ki Kheri, Mnon Ki Jhonpari, Anvalhera, Dala Ka Khera, Bhilyakhera, Piplipal, Mangodra, Gelemal, Mayra, Eklingpura, Sangrampura, Baldarkha, Anjunpura, Causeways, Pal, Pal ka Khera, Chopra Khera, Ghosundi, Gokulsingh Ka Khera, Ganesgpura	Bassi	Chittorgarh	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to **M/s Hindustan Zinc Limited** for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.
ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
vi. M/s Hindustan Zinc Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon’ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/55/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA